

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1536
गुरुवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना

1536. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

डॉ. तालारी रंगैय्या

श्री बृजेन्द्र सिंह: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए गए बायो-सीएनजी संयंत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान देश में बायो-सीएनजी उत्पादन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मात्रा कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने देशभर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): विगत पाँच वर्षों के दौरान और वर्तमान के वर्ष 31.11.2022 तक देश में स्थापित बायो-सीएनजी संयंत्रों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र सहित पूरे देश में नए बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय व्यापक राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। डब्ल्यूटीई कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 600 करोड़ रु. का बजट परियोजना है। यह कार्यक्रम, अन्य के साथ-साथ केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध कराते हुए, शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से बायो-सीएनजी का उत्पादन करने के लिए संयंत्रों की स्थापना में सहायता करता है।
- (ii) वहनीय परिवहन के लिए स्थायी विकल्प (सतत्) पहल के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 500 बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया है, जिसमें वर्ष 2023-24 तक 15 एमएमटी बायो-सीएनजी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सतत् पहल उद्यमियों को बायो-

सीएनजी संयंत्र की स्थापना करने, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को ऑटोमोबाइल ईंधनों के रूप में बिक्री हेतु बायो-सीएनजी के उत्पादन करने तथा उसकी आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

- (iii) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 2018 में गैलवेनाइजिंग आरगैनिक बायो-एग्रो रिसोर्सज धन (गोबर-धन) योजना की शुरुआत की। गोबर-धन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत स्वच्छ भारत मिशन चरण-II का अभिन्न अंग है। एसबीएम(जी) के चरण-II के कार्य-संचालन दिशानिर्देशों में क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिला 25 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
- (iv) गैर-पारंपरिक सामग्रियों से बिजली एवं बायो-सीएनजी के उत्पादन हेतु परियोजनाओं की शुरुआती स्थापना के लिए जरूरी मशीन और पुर्जों के आयात हेतु सीमा-शुल्क पर छूट की सुविधा उपलब्ध है।
- (v) बायो-सीएनजी/कंप्रेसड बायोगैस को ऋण देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- (vi) तकनीकी सहायता, आर एंड डी, नए बायोगैस मॉडलों की जाँच एवं प्रमाणीकरण/बायोगैस संयंत्रों की डिजाइन, फील्ड निरीक्षण और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए भारत के प्रमुख संस्थानों में आठ बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र (बीडीटीसी) स्थापित किए गए हैं।
- (vii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जून, 2015 में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन किया तथा मोटर वाहनों में अपशिष्ट से उत्पादित बायो-सीएनजी (एमएसडब्ल्यू सहित) के इस्तेमाल संबंधी प्रावधानों को शामिल किया है।
- (viii) बायो ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति-2018 बायो-सीएनजी एवं अन्य बायो ईंधनों के उत्पादन को बढ़ावा देती है।
- (ix) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान (नीबे), कपूरथला एनआईटी जालंधर के संयुक्त सहयोग से अक्षय ऊर्जा पर एम.टेक कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दे रहा है। संस्थान ने बायोगैस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य बायो ऊर्जा पहलुओं में अनुसंधान के लिए सीएसआईआर-सीएमईआरआई, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भारतीय बायोगैस एसोसिएशन और अन्य प्रख्यात संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
- (x) नीबे बायो ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए यूएस एनर्जी लैब, पैसिफिक नार्थवेस्ट नेशनल लैबोरेट्री एवं लॉरेस बर्कली नेशनल लैबोरेट्री के साथ भी सहयोग कर रहा है।

अनुलग्नक

“बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना” के संबंध में पूछे गए दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1536 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में पिछले पांच वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान स्थापित बायो-सीएनजी परियोजनाएं

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संयंत्रों की संख्या	बायो-सीएनजी उत्पादन क्षमता (किलोग्राम/दिन में)
1.	आंध्र प्रदेश	5	4780
2.	छत्तीसगढ़	1	400
3.	गुजरात	12	49028
4.	हरियाणा	3	12400
5.	कर्नाटक	4	10621
6.	मध्य प्रदेश	2	18000
7.	महाराष्ट्र	4	28690
8.	पंजाब	2	35000
9.	तमिलनाडु	3	28400
10.	तेलंगाना	2	4400
11.	उत्तर प्रदेश	4	20700
12.	उत्तराखंड	1	420
13.	पश्चिम बंगाल	1	6000
	कुल	44	218839
